न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 3/2019 **दायर दिनांकः 05/11/2019**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अपीलान्ट

बनाम

1. मांगी लाल पुत्र भेरूलाल जाति चमार निवासी भौंरा तहसील अटरु जिला बारां (राजस्थान)
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र कंवरया जाति चमार निवासी भौंरा तहसील अटरु जिला बारां (राजस्थान)
3 प्रभूलाल पुत्र कंवरया जाति चमार निवासी भौंरा तहसील अटरु जिला बारा (राजस्थान)
4 हीरालाल, पुत्र गोपीलाल जाति चमार निवासी भौंरा तहसील अटरू जिला बारां (राजस्थान)
5 गिरीराज पुत्र गोपीलाल जाति चमार निवासी भौंरा तहसील अटरू जिला बारां (राजस्थान)
6 सरपंच ग्राम पंचायत किशनपुरा पंचायत समिति अटरू जिला बारां राजस्थान

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 (डी) राज.एल.आर.एक्ट

विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 470 दिनांक 05.09.2016 ग्राम पंचायत किशनपुरा

उपस्थिति :—

अपीलान्ट :— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनाक : 06/11/2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि इन्तकाल नम्बर 470 दिनांक 05.09.2016 को ग्राम पंचायत किशनपुरा द्वारा विरुद्व कानून तस्दीक किया गया है। वाके ग्राम भौंरा तहसील अटरु जिला बारां वर्तमान खाता संख्या 130 का कुल किता 10 का रकबा 4.58 हेक्टर आराजी स्थिति है जिसमें से नामा. न. 428 दिनांक 01.07.2015 से जर्ये सहमति बटवारा से लक्ष्मीनारायण पुत्र कंवरया ख.न. 75 दिशा पश्चिम. रकबा 0.54, 75/521 रकबा 0.07, 183/566 दिशा दक्षिण रकबा 0.02, 258/588 दिशा उत्तर रकबा 0.05, ख.ंन. 266 दिशा उत्तर पूर्व रकबा 0.20 कुल किता 5 रकबा 0.88 है. रहनः— एच.के.जी.बी. शाखा सकतपुर, मांगीलाल पुत्र भेरूलाल खसरा नम्बर 45/0.98 , 266 दिशा उत्तर दक्षिण रकबा 0.24 कुल किता 2 रकबा 1.22 है. रहन एच.के.जी.बी. शाखा सकतपुर प्रभूलाल पुत्र कंवरया खसरा नम्बर 44 रकबा 0.64, 266 दक्षिण पूर्व रकबा 0.20, 247/514 रकबा 0.30, 258/588 रकबा 0. 05 कुल किता 4 रकबा 1.19 है0 जमनालाल, हीरालाल, गिरीराज पुत्र गोपीलाल उर्मिला पुत्री गोपीलाल रूपा पत्नि स्व. गोपीलाल खसरा नम्बर 75 उत्तर रकबा 0.60, 183/566 उत्तर 0.03, 266 दक्षिण—पश्चिम 0.25, 273 रकबा 0.40 कुल किता 4 रकबा 1.28 है0 मे से रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ने अपना हिस्सा 1/4 नामान्तरण संख्या 470 दिनांक 05.09.2016 से आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 3

ता 5 को हकत्याग कर दिया जो सहखातेदार नही होने से न्यायोचित नहीं हे। तथा उक्त आराजी के हकत्याग का नामान्तरण संख्या 470 अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने से खारिज फरमाया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट इन्तकाल 470 दिनांक 05.9.2016 को गैर कानूनी तरीके से तस्दीक करने के कारण खारिज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना माननीय न्यायालय की सहायता के करवाया जाना संम्भव नही हैं। अपीलान्ट को वर्तमान पटवार हल्का पटवारी किशनपुरा श्रीमति सुनिता मीना द्वारा दिनांक 28.08.2019 को नामान्तकरण संख्या 470 गलत दर्ज होने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त जानकारी हुई। जानकारी कि दिनांक से अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में पेश की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। अपील अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहक मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अपीलान्ट निवेदन करता है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल नम्बर 470 दिनांक 05.09.2016 को खारिज फरमाने की कृपा करें।

अतः माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अपीलान्ट निवेदन करता है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल नम्बर 470 दिनांक 05.09.2016 को खारिज फरमाने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट कम 1 ल 6 द्वारा इकबालिया जवाब अपील पेश की गई जिसमें कथन किया गया किया कि अपील की मद नं0 1, 2, 3, 4, 5 स्वीकार है।

—::विशेष कथन::—

वाके ग्राम भौंरा खाता संख्या 130 की किता 10 रकबा 4.58 हैक्टयर आराजी स्थित है। जिसमें रेस्पोडेन्ट के मध्य सहमति से बंटवारा हो चुका है जिसका नामान्तकरण नम्बर 428 दिनांक 01.07.2015 को खुल चुका है। लेकिन रेस्पोडेन्ट क्रं. संख्या –2 ने अपना हिस्सा 1/4 रेस्पोडेन्ट क्रं.संख्या 3 ता 5 को कर दिया है, जो सहखातेदार नहीं हैं जिसका नामा.नं. 470 दिनांक 05.09.2016 को खुल चुका है, जो अवेधानिक एवं गैरकानूनी होने से खारीज योग्य है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार करना नामा.नं. 470 खारीज फरमाया जावे इससे हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ती नहीं है।

उभय पक्षकारान को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जमाबन्दी खाता संख्या 130 किता 10 रकबा 4.58 है0 भूमि खातेदार मांगीलाल पुत्र भैरूलाल हिस्सा 1/4 लक्ष्मीनारायण प्रभूलाल पुत्र कवर्यां हिस्सा 1/2 हिस्सा बराबर जमना लाल, हीरालाल,गिरिराज पुत्र गोपीलाल उर्मिला पुत्री गोपीलाल, रूपा बाई, बेवा गोपीलाल, हिस्सा 1/4 हिस्सा बराबर जाति

चमार सा0देह H.K.G.B. शाखा सकतपुर हिस्सा लक्ष्मीनारायण, मांगीलाल दर्ज है। नामा0 सं0 428 दिनांक 01.07.2015 सहमति बंटवारा स्वीकृत हुआ था जिसके अनुसार खातेदार मांगीलाल पुत्र भैरूलला की किता 2 रकबा 1.22 है0 लक्ष्मीनारायण पुत्र कवरंया को किता 5 रकबा 0.88 है0 प्रभूलाल पुत्र कवर्‌या को किता 4 रकबा 1.19 है0 जमना लाल, हीरालाल गिरिराज पुत्र उर्मिला पुत्री रूपा बाई पत्नि स्व0 गोपीलाल को किता 4 रकबा 1.28 है0 खाते दर्ज है।

नामा0 सं0 470 हकत्याग का दर्ज किया गया जो बंटवारे के बाद होने से सहखातेदारान नही रहने के उपरान्त हकत्याग दर्ज किया गया है। जो नियमानुसार गलत है, तथा रेस्पो0 द्वारा भी जवाब अपील में भी नामा0 सं0 470 से हकत्याग गलत होना व अपील को स्वीकार किये जाने का कथन किया गया है।

अतः न्यायहित में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है। नामा0 सं0 470 गलत होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्त अनुसार पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.12.10 13:22:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: